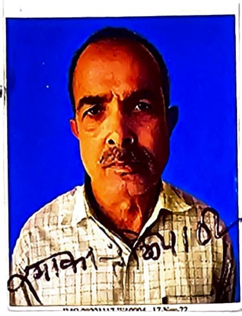

ट्रस्ट विलेख

ट्रस्ट का नाम–	मधुसूदन त्रिपाठी एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट
ट्रस्ट का पता–	ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज
ट्रस्ट कोष–	10000 / रू0
स्टम्प–	750 / रू0

हम कि रमाकान्त त्रिपाठी पुत्र मधुसूदन त्रिपाठी ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज का हूँ।

.... मुख्य न्यासी (प्रबन्धक)

भारत सरकार
Government of India

रमाकान्त त्रिपाठी
Ramakant Tripathi
जन्म तिथि / DOB : 01/08/1960
पुरुष / MALE

Issue Date: 25/05/2016

4260 2780 9271

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: आत्मज: मधुसुदन त्रिपाठी, 206, बरहरा महंथ, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, 273163
Address: S/O: Madhusudan Tripathi, 206, Barahra Mahanth, Maharajganj, Uttar Pradesh, 273163

Print Date: 30/10/2020

4260 2780 9271

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

रमाकान्त त्रिपाठी

भारत सरकार
Government of India

राकेश
RAKESH
जन्म तिथि / DOB : 04/07/1978
पुरुष / Male

5333 4329 5895

आधार – आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
S/O: रामपाल, वेलवाटीकर, बरबा/खुर्द, बारावा खुर्द, महराजगंज, बेलवेटकर, उत्तर प्रदेश, 273302

Address:
S/O: Rampal, BELVANTIKAR, barava/khurd, Barawa Khurd, Maharajganj, Belwatikar, Uttar Pradesh, 273302

5333 4329 5895

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

[redacted]

राजेंद्र शुक्ल
Rajendra Shukl
जन्म तिथि / DOB : 14/03/1956
पुरुष / Male

9813 8484 9501

आधार - आम आदमी का अधिकार

आधार

Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: स्व. काशी, 72, [redacted]
बसडीला, महाराजगंज, [redacted]
उत्तर प्रदेश, 273151

Address:
S/O: Late Kashi, 72, khuduri,
Basdila, Maharajganj, Gaura
Dubey, Uttar Pradesh, 273151

9813 8484 9501

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

रमाकान्त त्रिपाठी

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP04993550252257V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature.........
ACC Name-HARIOM PRAJAPA...
ACC Code-UP14129204, ACC Addr.
Tehsil Campus Nichlaul, Maharajganj
Mobile-9936921418, Licence No.-64
Tehsil & District-Nichlaul, Maharajganj

Certificate No.	:	**IN-UP04993550252257V**
Certificate Issued Date	:	04-Sep-2023 02:39 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14129204/ MAHARAJGANJ/ UP-MHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1412920405502421577041V
Purchased by	:	MADHUSUDANTRIPATHI EDU WEL TRUST RAMAKANT TRIPATHI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	ARAJI MAUZA-BADAHARA MAHANTH SARSWATI NAGAR TEHSIL NICHLAUL DISTRICT MAHARAJGANJ
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MADHUSUDANTRIPATHI EDU WEL TRUST RAMAKANT TRIPATHI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	MADHUSUDANTRIPATHI EDU WEL TRUST RAMAKANT TRIPATHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

LOCKED

S.R. - NICHLAUL
MAHARAJGANJ

रमाकान्त त्रिपाठी

JD 0040582499

हम न्यासी के मन में सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हेतु संकल्प उत्पन्न हुआ जिसकी मूर्त रूप देने के लिए हम न्यासी द्वारा मधुसूदन त्रिपाठी एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना किया। यह संस्था गांव की स्वच्छता एंव शिक्षा आदि से सम्बन्धित जनकल्याण हेतु कार्य सुचारू रूप से करता रहेगा। जिसके लिए हम न्यासी द्वारा एक जनकल्याणी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है जिसका नाम मधुसूदन त्रिपाठी एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट होगा तथा ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज होगा।

हम न्यासी ने इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए 10000/दस हजार रूपये मात्र का एक न्यास कोष स्थापित कर दिया है।

वितित हो की आज को तिथि में न्यास के पास कुल चल/अचल की मालियत मु0 10000/रूपए की है आगे भी इस न्यास को उसके विभिन्न उपयोग के लिए धन की व्यवस्था करता रहेगा।

हम मुख्य न्यासी ने अपने द्वारा स्थापित न्यास की प्रबन्धन तथा प्रशासन के वावतू एक न्यास पत्र भी निष्पादित कर रहा हूँ जिसमे निम्न रूपेण व्ययस्थाएं है–

1– यह कि न्यासी (प्रबन्धक) द्वारा स्थापित न्यास का नाम मधुसूदन त्रिपाठी एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे न्यास अथवा ट्रस्ट शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2– यह कि हम मुख्य न्यासी (प्रबन्धक) द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रजिस्टर्ड कार्यालय ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के वावतू इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकुर द्वारा गठित की जाने वाली सस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधि पूर्ण कार्यो का संचालन किया जा सकेगा समाज में फैले भ्रष्टाचार के विरूद्ध व सार्थक प्रयास कर उसे मिटाना व सार्थक प्रयास कर उसे हटाना।

रमाकान्त त्रिपाठी

3– यह कि न्यासी ट्रस्ट मजकुरके संस्थापक प्रबन्धक होगा और हम न्यासी न्यास के उक्त पदों के लिए निर्धारित अधिकार एवं एवं कर्तव्यों का प्रयोग कर न्यास की समुचित व्यवस्था करता रहेगा। हम न्यासी द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था में निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करता हूँ। भविष्य में हम न्यासी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टीयों की भी नियुक्ति किया जा सकेगा हम न्यासी द्वारा नामित ट्रस्टीयों तथ मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा सदस्यों की कुल संख्या 05 से अधिक नही होगी ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुख्य न्यासी द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है–

1– श्री रमाकान्त त्रिपाठी पुत्र मधुसूदन त्रिपाठी ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज **(प्रबन्धक/मुख्य न्यासी)**

2. श्री नीरज त्रिपाठी पुत्र रमाकान्त त्रिपाठी ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज **(अध्यक्ष/न्यासी)**

3. श्रीमती शान्ती त्रिपाठी पत्नी रमाकान्त त्रिपाठी ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज **(उपाध्यक्ष/न्यासी)**

4. श्रीमती अन्जना त्रिपाठी पत्नी नीरज त्रिपाठी ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज **(कोषाध्यक्ष/न्यासी)**

5. श्रीमती सुमन त्रिपाठी पुत्री रमाकान्त त्रिपाठी ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज

4– यह कि हम न्यासी (प्रबन्धक) द्वारा नाम मधुसूदन त्रिपाठी एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ग्राम– बड़हरा महन्त (सरस्वती नगर), पोस्ट– बड़हरा महन्त, वि0ख0– सिसवां, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

रमाकान्त त्रिपाठी

(1) समाज के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक , मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर, हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर एवं विज्ञान एवं मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज इन्जिनियरिंग कालेज, टेक्निकल, प्रोफेशनल कालेजों एवं लॉ की शिक्षा की व्यवस्था कराना एवं उसका संचालन करना।

(2) शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना व संस्था के **माध्यम** से बालक एवं बालिकाओं हेतु सी0बी0एस0सी0 बोर्डरुआई0सी0सएस0ई0 पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना तथा भारत के नवयुवक एवं नवयुवतियों को मकैनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल ट्रेड के साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें प्लेसमेन्ट के आधार पर स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना तथा निर्बलों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करना सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना। **इस ट्रस्ट के तहत खोली जाने वाली इण्टरमिडिएट तक की संस्थाओं का नाम ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल रहेगा।**

(3) हिन्दू संस्कृत की रक्षा बसुधैव कुटुम्बकम की स्थापना करने के लिए प्रयास करना तथा अतिथि गृह, विवाह गृह का प्रबंध करना तथा समाज में सुख शान्ति आपसी सदभावना व शिक्षा स्वास्थ्य एवं

नागरिकों आदर्श गुणों की स्थापना करना तथा समाज में साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल–भूत आवश्यकताऐं–भोजन शिक्षा आवास की निःशुल्क व्यवस्था करना ताकी शिक्षित बेरोजगार को उनके योग्यता के अनरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें **मधुसूदन त्रिपाठी एजूकेशन वेलफेयर ट्रस्ट** द्वारा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना एवं जनहित में उक्त कार्यों को संचालित करने के लिए अधिकाधिक लाभ प्रदान करना तथा समाज के विभिन्न स्तर के लोगों से सहायता प्राप्त करना तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा समितियों का गठन करना तथा आगन्तुक साधु, महात्मा, वृद्ध एवं विकलांग तथा निरीह लोगों की समुचित व्यवस्था समितियों द्वारा करना एवं उनका सहायता करना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कराना।

(4) विद्यालय की स्थापना करना एवं उसका प्रचार प्रसार करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जनमानस को सचेत करना तथा गरीब बालक एवं बालिकाओं की निःशुल्क एक मण्डप में शादी का आयोजन करवाना तथा अन्य संस्कारों का प्रबन्धन करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना तथा भारतीय स्वच्छता अभियान को सतप्रतिशत सफल बनाने में उपरोक्त ट्रस्ट के माध्यम से अथक प्रयास करना तथा समाज में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने हुतु सार्थक प्रयास कर हटाने में सहयोग करना तथा भारतीय संविधान के रचनात्मक कार्यों को सिद्धान्त को व्यवहार में परिवर्तन करके विषेशकर महापुरूष मोहनदास करमचन्द गाँधी, सरदार बल्लभभाई पटेल, डॉ0 भिवराम अम्बेडकर के सिद्धान्तों के तहत कार्य करना तथा इन लोगों के जीवन गाथा का प्रचार–प्रसार करना और लोगों को जागरूक बनाना।

(5) लिंग भेद जाति–पाति, छुआ–छूत धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

(6) शिक्षा का प्रचार–प्रसार उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा तकनीक, गैर तकनीकी विधि शिक्षा प्रशिक्षण हेतु विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित करना व उसका संचालन करना।

(7) समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण कराना।

(8) शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में कमजोर विद्यार्थीयों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे

मेडिकल, इंजिनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0जे0, जे0ई0ई0, ए0आई0ई0ई0ई0, आई0टी0आई0 पी0सी0एस0 लोवर, सब आर्डिनेट, सी0पी0एम0टी0, एस0एस0सी0, एम0बी0बी0एस0, बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0एस0सी0, एम0 काम0, एम0ए0टी0, सी0ए0टी, सी0बी0आई0 इरिगेशन टेक्निकल एयर क्राफ्ट एवं सम्पूर्ण कोचिंग प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था करना व उसका संचालन कराना तथा उसमें होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

(9) ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उसकी योग्यतानुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना तथा उसके न मिलने की दशा में सीट पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

(10) अनुसूचित जाति, जनजाति , पिछडे एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थीयों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

(11) युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढाई, बुनाई पेन्टिग, स्क्रिनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डिजल एवं मोटर मकैनिक, रेडियों एवं टी0बी0 ट्रेनिंग टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डायटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था एवं प्रबन्ध करना आवश्यकता अनुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना अन्य ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों तकनीकी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों के संचालन का कार्य करना।

(12) खाद्य प्रस्संकरण जैसे–जैम, जैली, मुरब्बा, आचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

(13) युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागी को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

(14) विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे– गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/पिछड़ी वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों को निर्माण व उसकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

(15) वृद्धो के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन पढ़ने लिखने

रमाकान्त त्रिपाठी

एवं अन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

(16) महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना **ताकि** उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

(17) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला सुलभ शौचालय, चिकित्साघर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाडी, बालबाड़ी ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

(18) सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बडे पैमाने पर उगाना वृक्षारोपण औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले पौधों का उत्पादन।

(19) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त हाने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता और अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहूँचाना।

(20) राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

(21) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे–यूनिसेफ, आई0सी0डी0एस0 नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन करना।

(22) घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग रेशम उद्योग मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनमें सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोक–थाम, टीकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।

(23) नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिए नशा–मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था कराना।

(24) समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे अन्ध विश्वास, बाल विवाह, देहज–प्रथा, बाल–शोषण, बाल–श्रम, महिला–शोषण, लिग–भेद, अस्पृश्यता,, जाति–पात, छूआ–छुत की भावना, स्वैच्छिक भावना के हास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(25) युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करनातथाआवश्यकतानुसार महिला उत्पीडन मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

(26) सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढावा देना।

(27) विभिन्न प्रकार के खेलों को बढावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।

रमाकान्तगोपाल

(28) एड्स, कैंसर, हेपैटाइसिट जैसे रोगों की जानकारी / रोकथाम / नियंत्रण / जागरूकता / उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सीय / पैरामेडिकल महाविद्यालयों डीम्ड यनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

(29) सरकार की सहायता से गॉवो एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।

(30) कृषि उद्योग को बढावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित / जागरूक एवं प्रशिक्षित कराना।

(31) प्राकृतिक आपदा जैसे– हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ, सुखा, आग, सूखा, आकाल, चक्रवात, भुकम्प, दूर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना।

(32) उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनकों विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(33) पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना करना।

(34) गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकी सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

(35) सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य करना जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती हैं।

(36) किसी अन्य सरकारी अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन, ट्रस्ट के क्रियाकलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हो।

(37) सरकारी तथा गैर सरकारी / लोगों / संस्थाओं / तंत्रो / कम्पनी / दुकानो से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।

(38) ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार

रमाकान्त ...पाल

अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फलाना।

(39) सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना तथा इनकी शर्तो के अनुपालन में न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों को बंधक में देना।

5– ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तब्य :–

1– समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोंग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार व विदेशी संगठनो से सहायता प्राप्त करना।

2– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

3– ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों का बनाना।

4– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करनातथा इसके लिये धन, सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना उनकी प्रबंध इकाईयॉ गठित करना।

5– ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं की व्यवस्था के लिए शुल्क प्राप्त करना तथा मेघावी छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

6– ट्रस्ट की चल अचल समपत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

7– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8– ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयो, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ–शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्ति कर्मचारियों के लिये आचरण नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

रमाकान्त...

9– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालन संस्थाओं के हित में व्यक्तियों संस्थाओं, सरकारी अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, विभागों व विदेशी संगठनों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यां की पूर्ति के लिये खर्च करना।

10– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।

11– ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजिकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80–जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।

12– ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड युनिवर्सिटी व इन्स्ट्च्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्य करना।

5– ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था :–

(क) ट्रस्ट का गठन व संचालन :–

1– ट्रस्ट का संचालक ही मुख्य ट्रस्ट प्रबन्धक होगा। मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धक द्वारा अपने जीवनकाल में ही अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित कर सकता है जो उनका विधिक वारिसान (पुत्र/पुत्री) होंगे इस प्रकार मुख्य ट्रस्टी अपनी वसीयत भी अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित कर सकता हैं यदि किन्हीं परिस्थितियों में मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक वारिसान (पुत्र/पुत्री) नामित किये बिना ही मुख्य ट्रस्टी हो जायेगा।

2– मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धक की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की स्थिति में उसके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी प्रत्यायोजन के आधार पर उसके कार्यों को निष्पादित करेगा।

3– मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धक किसी भी समय ट्रस्टी को पदच्युत करने में सक्षम होगा इस प्रकार पदच्युत न किये जाने पर आजीवन ट्रस्टी जीवन भर ट्रस्ट मण्डल का सदस्य बना रह सकेगा जबकि तदर्थ ट्रस्टी की कार्यवधि तीन वर्षों की होगी परन्तु उसकी पुनर्नियुक्ति पर कोई निर्बन्धन नही होगा।

4– ट्रस्ट मण्डल के किसी भी सदस्य के पदच्युक्त किये जाने व मृत्यु होने या त्यागपत्र देने अथवा ट्रस्ट विरोधी कार्य करने व पागल हो जाने पर तथा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर तथा दीवालिया होने पर मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धक द्वारा आवश्यकतानुसार नये ट्रस्टी की नियुक्ति की जायेगी।

रमाकान्त त्रिपाठी

5– ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण या गैर–शिक्षण संस्थानों व संस्थओं का संचालन मुख्य ट्रस्टी प्रबंधक के निर्देश के अनुसार उसके द्वारा नियुक्ति या निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

6– ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत किसी भी संख्या के कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा किये गये खर्चों तथा विलों को औचित्य के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास होगा।

7– ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किये गये कार्य के लिये ट्रस्ट या अन्य ट्रस्टीयो का कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठकें :–

1–वर्ष में कम से कम तीन बार ट्रस्ट मण्डल की आम बैठक होगी इसमें ट्रस्ट मण्डल के सभी सदस्यों के अतिरिक्त ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं व अन्य इकाईयों के वे सदस्य या पदाधिकारी जिन्हें बुलाया जायेगा भाग लेंगे। इस बैठक की सूचना न्यूनतम एक सप्ताह पहले मुख्य ट्रस्टी द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दी जायेगी।

2– ट्रस्ट की आम बैठक के अतिरिक्त मुख्य ट्रस्टी प्रबंधक किसी भी समय एक सप्ताह की पूर्वसूचना पर ट्रस्ट मण्डल संबन्धित व्यक्तियों, संस्थाओं तथा इकाइयों की बैठक बुला सकेगा।

6– ट्रस्ट मण्डल के अधिकार व कर्तव्य :–

1– समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना।

2– राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अर्ध सरकारी, गैर–सरकारी स्रोतों से या व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करना।

3– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की गठित इकाइयों के रूप में संस्थओं इत्यादि की स्थापना करना।

4– ट्रस्ट के अधीन गठित संस्थाओ व अन्य इकाइयों की सदस्यता तथा अन्य विषयों के लिये नीति–निर्धारण करना तथा ऐसी संस्थाओं व अन्य इकाइयों इत्यादि की आवश्यकता के लिये धन तथा आय के श्रोत का प्रबन्ध करना।

5– ट्रस्ट की संपत्ति की देखभाल करना तथा इसकी अभिबृद्धि के लिये प्रबंध करना –

(1) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थाओ के अतिरिक्त अन्य इकाइयों जैसे विद्यालयो, चिकित्सालयो, गौशलाओं, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं अन्य सेवा केन्द्रों इत्यादि की स्थापना तथा संचालन करना।

प्रकाश तापेंयाल

(2) ट्रस्ट की अधीनस्थ इकाइयों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उनके संचालन के लिये गठित समितियों को भंग कर उनकी समस्त व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

7– ट्रस्ट तथा ट्रस्ट की अधीनस्थ संस्थाओं तथा अन्य इकाइयों की स्थापना तथा संचालन के लिये आवश्यक सभी कार्यों को निष्पादित करना तथा इसके लिये मुख्य ट्रस्टी प्रबंधक के निर्देशानुसार किसी व्यक्ति या विषेशज्ञ को सेवा इत्यादि के लिये अनुबंधित करना।

8– ब्याज लाभान्स तथा आय न्यास कोष कावसूल करे तथा उससे वसूली करने का खर्च तथा अन्य अकस्मिक व्यय यदि कोई हो तो व्यय करें।

9– ऐसे समाज की रचना करना जिसमें बिना किसी जाति विश्वास अथवा धर्म के भेद भाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर की उपलब्धि प्राप्त हो सके।

10–ट्रस्ट तथा ट्रस्ट की अधीनस्थ संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों के संचालन या अन्य किसी अनिर्दिष्ट परिस्थितियों के उत्पन्न होने या निर्देश स्पष्ट न होने पर मुख्य ट्रस्टी प्रबंधक से निर्देश प्राप्त करना तथा ऐसे निर्देश का सद्भावपूर्वक पालन करना।

7– क) मुख्य ट्रस्टी की शक्तियाँ :–

1– मुख्य ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट मंडल का प्रधान होगा। उसके निर्देश व निर्णय से ही ट्रस्ट की समस्त व्यवस्था संचालित किया जायेगा।

2– मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

3– मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के हितो के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी ट्रस्टी को पदच्युत करने में सक्षम् होगा।

4– ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी भी दायित्व का प्रत्यायोजन ट्रस्ट मण्डल के किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति को किया जायेगा।

5– मुख्य ट्रस्ट किसी भी दायित्व के साथ शक्तियाँ भी प्रत्यायोजित कर सकेगा परन्तु ऐसा प्रत्यायोजन सदैव लिखित होगा तथा वापस लिया जा सकेगा। इस सम्बन्ध मे मुख्य ट्रस्टी किसी कार्य विशेष या कार्यों की श्रृंखला के लिए किसी व्यक्ति या ट्रस्टी के ट्रस्ट की ओर से संविदा , संव्यवहार या सेवायोजन करने के लिए भी अधिकृत कर सकेगा। ऐसा अधिकृत व्यक्ति ट्रस्ट की आरे से मुख्य ट्रस्टी के निर्देशों के अधीन रहते हुए हस्ताक्षर इत्यादि भी कर सकेगा।

6– मुख्य ट्रस्टी प्रबंधक ट्रस्ट के लिए अचल संपत्ति क्रय कर सकेगी तथा ट्रस्ट के हितो में आवश्यक होने पर विक्रय या आन्तरित कर सकेगा।

7– मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट की अधीनस्थ, इकाइयो में भी पदाधिकारियों सदस्यों इत्यादि की नियुक्ति करेगा

रमाकान्त त्रिपाठी

ऐसी समस्त नियुक्तियां जो मुख्य ट्रस्टी(प्रबंधक)द्वारा आवश्यक समझे जाने पर निरस्त भी की जा सकेगी तथा ऐसे समस्त सदस्य, पदाधिकारी, संस्थाऐं व इकाइयॉ मुख्य ट्रस्टी के अधीन सदभाव पूर्वक कार्य निष्पादन करेगा। कार्य निष्पादन में सद्भावना या कार्यकुशलता का आभाव प्रतीत होने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा सदस्यों, पदाधिकारियों कर्मचारियों या अन्यथा नियोजित व्यक्तियों को किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।

8– मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट तथा इसकी संस्थाओं व अन्य इकाइयों के संचालन के लिये नियम बनाना तथा संसोधित कर सकेगा।

9– ट्रस्ट इसकी संस्थाओं व अन्य इकाइयों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी अन्य अनिर्णय या विवाद की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी(प्रबंधक)का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

ख) मुख्य ट्रस्टी के कर्तव्य

1 ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं व इकाइयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।

2 ट्रस्ट की बैठके आहुत करना तथा इसकी पूर्व सूचना सभी संबन्धित व्यक्तियों को देना।

3 ट्रस्ट की कार्यवाहियों को लेखाबद्ध कराना।

4 ट्रस्ट की सभी चल–अचल संपत्तियों की रक्षा करना। इस हेतु आवश्यक होने पर विधिक कार्यवाही करना तथा इस निमित्त परामर्श लेना, विलेख निष्पादित करना, किसी अधिवक्ता की सेवायें लेना तथा ट्रस्ट के मुकदमे की पैरवी करना।

5 ट्रस्ट की संपत्तियों में वृद्धि के लिये यथोचित प्रयास करना, इस निमित्त शेयर ऋण पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, सावधि जमा खाना इत्यादि में निवेश करना।

6 ट्रस्ट के लिये दान, सहायता अथवा श्रोत से प्राप्त धनराशि को प्राप्त करना तथा दान देना।

7 ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करना।

8 ट्रस्ट के समस्त आय–व्यय का लेखा करना तथा लेखा परीक्षण कराना।

9 ट्रस्ट, इसकी अधीनस्थ संस्थाओं व अन्य इकाइयों के समुचित संचालन के लिये आवश्यक नियम बनाना।

10 ट्रस्ट तथा इसकी संस्थाओं अन्य इकाइयों के लिये बनाये गये नियमों से ट्रस्ट मंडल को अवगत कराना।

11 इस विलेख द्वारा प्रतिबन्धों के अधीन न्यासीगण इस न्यास की सम्पत्ति से प्राप्त आमदनी से भारत तथा विदेश में इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खर्च करने के लिए उपयोग कर सकती है जहाँ तक की सम्भव हो वे इस बात को ध्यान में रखेंगे की अधिनियम सन् 1961 की धारा (11) अथवा अन्य किसी समय–समय पर जारी अधिनियम के अधीन कर में छूट प्राप्त करके इस सम्पत्ति को हानि से बचा सके।

रमाकान्त त्रिपाठी

12.– यदि ट्रस्ट मण्डल के कोष को भारत के बाहर निवेस करना हो तो इस आशय की अनुमति डायरेक्ट टैक्स की केन्द्रीय परिषद से पूर्व में प्राप्त कर ले।

13– न्यासीगण न्यास के उपयोग तथा लाभ हेतु यदि आवश्यकता हो जिससे न्यास का लाभ हो सके, के लिए किन्हीं शर्तों पर जमानत देकर अथवा अन्य प्रकार से धन प्राप्त करे अथवा ऋण हासिल कर सकते है।

14– न्यास किसी व्यक्ति, निगम, संस्था, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य न्यास से दान, अन्शदान, उपहार या भेट स्वीकार कर सकते हैं यह सब किसी भी रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं चाहे वे किसी प्रकार की चल या अचल सम्पत्ति हो परन्तु ऐसे किसी दान, अनुदान आदि को प्राप्त करने हेतु उसका कारण निर्धारित करने के लिए बिना मात्र अपने विवेक से नहीं स्वीकार करेंगे ऐसी सभी सम्पत्तियों चल अथवा अचल इस प्रकार से प्राप्त होने के पश्चात वे या तो ट्रस्ट की सम्पत्ति का अंश होगी अथवा दानकर्ता की इच्छानुसार रहेगी ऐसे दान यदि स्वीकार कर लिए गये तो उनका विनियोग तथा निस्तारण न्यासियों के निर्णय के अनुसार इस विलेख के उपनियमों तथा शर्तों की सीमा के अन्दर ही सदा किया जायेगा।

8– **ट्रस्ट का कोष –**

1– ट्रस्ट के कोष की सुचारू व्यवस्था के लिये ट्रस्ट के नाम से भारतवर्ष के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त धनराशियाँ निहित होगी।

2– मुख्य ट्रस्टी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर एक से अधिक खाते भी ट्रस्ट के नाम से खोले जा सकेंगे।

3– ट्रस्ट के सभी खातो का संचालन मुख्य ट्रस्टी (प्रबन्धक) रमाकान्त त्रिपाठी के हस्ताक्षर से खाते का संचालन किया जायेगा और यही व्यवस्थाए आने वाले समय से मान्य होगी।

रमाकान्त त्रिपाठी

4.– मुख्य न्यासी सम्पत्तियों देनदारियों तथा आमदनी व खर्च जो न्यास से सम्बन्धित हो का सही खाता का रख रखाव करायेंगे तथा वर्ष में एक बार उसकी जाँच लेखा परीक्षण से करायेगे तथा उक्त खाता एवं बैलेन्सशीट का सत्यापन किसी ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड द्वारा किया जायेगा जिनकी नियुक्ति न्यासियों द्वारा तन्खाहं पर अथवा अन्य रूप से की गई हो, कराया जायेगा ऐसे वार्षिक लेखा विवरण की लेखा परीक्षण न्यासियों द्वारा अंगीकृत एवं हस्ताक्षरित जैसे ही वे पूर्ण हो किया जायेगा।

9) ट्रस्ट की परिसंपत्तियाँ–ट्रस्ट की संपत्तियों की व्यवस्था निम्नलिखित रीति से की जायेगी–

1– ट्रस्ट के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य ट्रस्टी (प्रबन्धक) द्वारा व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकार से दान सहायता या ऋण लिया जा सकेगा। ट्रस्ट की आय बढ़ाने के लिये किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से प्रयास किये जा सकेंगे। ट्रस्ट की आय के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत होंगे –

1– देशी एवं विदेशी व्यक्तियों, संस्थाओं से दान, चंदा व ऋण।

2– सरकारी या गैर सरकारी अनुदान।

3– कृषि।

4– देशी एवं विदेशी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं व व्यक्तियों से ऋण।

5– फिक्स डिपाजिट, ऋण पत्रों से ब्याज, शेयर, म्युचुअल फंड, बांड्स इत्यादि लाभांश।

6– भूमि, भवन, परिसर , वाहन या उपकरणों के किराये से आय।

7– कोई अन्य श्रोतों या ऐसा श्रोत जो ट्रस्ट के लिये उपयुक्त हो।

8– यह कि ट्रस्ट की कोई चल सम्पत्ति नहीं है। और न ही समाहित की गयी है।
व ट्रस्ट की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

रमाकान्त त्रिपाठी

आवेदन सं०: 202300945007287

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 25**	**वर्ष: 2023**

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री रमाकान्त त्रिपाठी ,
पुत्र श्री मधुसुदन त्रिपाठी
व्यवसाय : कृषि
निवासी: बडहरा महन्थ सरस्वतीनगर तहसील निचलौल जनपद महराजगंज

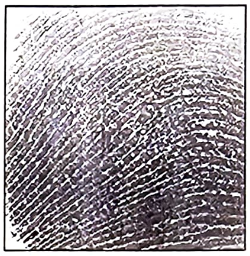

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 04/09/2023 एवं 03:45:32 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संदीप कुमार चौहान
उप निबंधक :निचलौल
महाराजगंज
04/09/2023

अखिलेश कुमार गुप्ता
निबंधक लिपिक
04/09/2023

प्रिंट करें

2.– मुख्य न्यासी इसकी संस्थाओं व इकाइयो के कार्यो के लिये भूमि, भवन, वाहन, या आवश्यक उपकरण खरीद सकेगा या किसी चल–अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा। मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्तियों को किराये पर दे सकेगा या विक्रय कर सकेगा।

3– ट्रस्ट की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले को दंडित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल के मुख्य न्यासी (प्रबन्धक) को प्राप्त होगी।

4– ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं व अन्य इकाइयों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के संबंध में मुख्य ट्रस्ट के कार्यों के लिये वैतनिक अथवा शुल्क–ग्राही कर्मचारियों या विशेषज्ञों की सेवाये ली जा सकेगा।

5– ट्रस्ट के अधीन किसी संस्था या इकाई में पद संबंधी अथवा विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा किसी न्यायालयीय विवाद की स्थिति में वाद लम्बित रहने तक ऐसी संस्था की परिसंपत्तियाँ ट्रस्ट में निहित रहेंगी।

रमाकान्त त्रिपाठी

आवेदन सं०: 202300945007287

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 25 | वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री रमाकान्त त्रिपाठी, पुत्र श्री मधुसुदन त्रिपाठी

निवासी: बडहरा महन्थ सरस्वतीनगर तहसील निचलौल जनपद महाराजगंज

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राकेश, पुत्र श्री रामपाल

निवासी: बरवां खुर्द पो० बेलवा टीकर तहसील सदर जनपद महाराजगंज

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री राजेन्द्र शुक्ल, पुत्र श्री काशी

निवासी: खुड्डरी तप्पा नई करही तहसील निचलौल जनपद महाराजगंज

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संदीप कुमार चौहान
उप निबंधक : निचलौल
महाराजगंज
04/09/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

अखिलेश कुमार गुप्त
निबंधक लिपिक महाराजगंज
04/09/2023

प्रिंट करें

6.– ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी विधिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा मुख्य ट्रस्टी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेंगी। मुख्य ट्रस्टी स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिवक्ता भी नियुक्त कर सकेगा।

7– ट्रस्ट के आय–व्यय व लेखा परीक्षा के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जा सकेगा।

8– ट्रस्ट मण्डल, मुख्य ट्रस्टी के निर्देशानुसार वे सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

10) **ट्रस्ट के अभिलेख –**

1– ट्रस्ट के अभिलेख तैयार करने के दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। इसके लिये मुख्य रूप से सूचना रजिस्टर, बैठक कार्यवाही रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, मुख्य ट्रस्टी द्वारा जारी नियमावली का रजिस्टर इत्यादि सम्मिलित होंगे।

2– अभिलेख तैयार कराने के लिये मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) द्वारा की जायेगी तथा मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकेगा तथा वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

घोषणा

ट्रस्ट की ओर से मैं रमाकान्त त्रिपाठी मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ कर व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से स्वेच्छा से निबंधन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

रमाकान्त त्रिपाठी

गवाह — लोकेश कुमार चतुर्वेदी S/o स्व० श्रीरामपाल
ग्रा. बरौली खुर्द, पो. बेलवाहिकर, तह. सदर मह.
6394979054

गवाह — राजेन्द्र शुक्ला S/o काशी
ग्रा. खुड़ी पो. औराछे त. निचलौल
9935302629

प्रस्तुतकर्ता - अखिलेश कुमार द्विवेदी एडवोकेट पं०-सं० UP03071/08
तारीख तहरीर - 04/09/2023

आवेदन सं०: 202300945007287

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 15 के पृष्ठ 105 से 142 तक क्रमांक 25 पर दिनाँक 04/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संदीप कुमार चौहान
उप निबंधक : निचलौल
महाराजगंज
04/09/2023

प्रिंट करें

उत्तर प्रदेश